



Neutral Citation No. - 2026:AHC:2971

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 45880 वर्ष 2025

गुलशन भारद्वाज आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : राज कुमार गौतम, विमलेश गौतम

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री राज कुमार गौतम, आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा श्री जय किशन चौरसिया, विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया एवं अभिलेख पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया गया।
3. आवेदक, मुकदमा अपराध संख्या 235 वर्ष 2025, धाराओं 103(1), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना कोतवाली हाथरस गेट, जिला हाथरस के अंतर्गत, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. अभियोजन कहानी के अनुसार, आवेदक पर मुखबिर की पुत्रवधू के साथ अवैध संबंध विकसित करने का आरोप है, जिस पर मुखबिर और उसके परिवारजनों ने आपत्ति की। ऐसी आपत्ति के कारण यह आरोप है कि आवेदक ने दिनांक 14.06.2025 को लगभग सायं 7:35 बजे बाजार में मुखबिर की पुत्री की हत्या कारित की।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक निर्दोष है और वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। एफआईआर में उल्लिखित कथित अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्राथमिकी की असामान्य त्वरितता के कारण वह अत्यधिक संदिग्ध है, क्योंकि कथित घटना के मात्र 55 मिनट के भीतर प्राथमिकी दर्ज हुई है। अभियोजन के स्वयं के कथन के अनुसार, मृतक को पहले अस्पताल ले जाया गया और मृत घोषित होने के बाद मुखबिर ने प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाने की ओर प्रस्थान किया। यह तथ्य दृष्टिगत रखते हुए कि अस्पताल एवं थाने के बीच की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दूरी लगभग 10 किलोमीटर है जबकि घटनास्थल लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है, इतने कम समय में प्राथमिकी दर्ज होना अभियोजन कहानी को अविश्वसनीय बनाता है और स्पष्ट रूप से आवेदक के झूठे फँसाने की ओर संकेत करता है।

6. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कथित मूल हेतु बाद में असत्य पाया गया। यहाँ तक कि यदि किसी अवैध संबंध का अस्तित्व मान भी लिया जाए, तो वह मृतक और आवेदक के बीच बताया गया है, न कि प्रारंभिक आरोप के अनुसार मुखबिर की पुत्रवधू के साथ। यह सारभूत विरोधाभास अभियोजन मामले की आधारशिला को ही नष्ट कर देता है और एफआईआर की विश्वसनीयता को और कमजोर करता है।
7. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि मृतक को दो गोलियों की चोटें आई थीं जिनमें टैटूइंग एवं काला पड़ना भी पाया गया। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी एफआईआर से विरोधाभासी है। एफआईआर में केवल कहानी को रंग देने के लिए प्रत्यक्षदर्शियों का उल्लेख किया गया है, अतः आवेदक जमानत पाने का अधिकारी है। आवेदक दिनांक 26.06.2025 से जेल में बंद है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
8. इसके विपरीत, विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है, किंतु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपतियों तथा इस तथ्य का भी खंडन करने में असमर्थ रहे कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
9. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण, अपराध की प्रकृति, दंड की गंभीरता पर विचार करते हुए तथा इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखते हुए कि हेतु बदल गया है और घटना के संदर्भ में प्राथमिकी अत्यंत त्वरित प्रतीत होती है, प्रथम दृष्टया मैं इसे आवेदक को जमानत पर रिहा करने का उचित मामला पाता हूँ। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
10. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक **गुलशन भारद्वाज** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका एवं दो जमानतदारों द्वारा समान राशि में जमानत प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/भयादोहन नहीं करेगा।

iii) आवेदक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

7 जनवरी, 2026

सिद्धांत